न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी,नारायण सिंह चारण आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 33/2016 (नि.पं.) **दायर दिनांक 17.06.2016**

1. श्रीमती डाली बाई पत्नी स्व. दुदा जी जाट नि. सिंहपुर तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. गीता पुत्री स्व. दुदा जी जाट नि. सिंहपुर तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. सुगना पुत्री स्व. दुदा जी जाट नि. सिंहपुर तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. लीला पुत्री स्व. दुदा जी जाट नि. सिंहपुर तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. श्री बद्रीलाल पिता स्व. शंकरलाल जाट नि. सिंहपुर तह.कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. श्री मदन लाल पिता स्व. शंकरलाल जाट नि. सिंहपुर तह.कपासन जिला चित्तौड़गढ़

निगराकार/प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सुंदर बाई पत्नी काशीराम पुत्री भैरूलाल जाट नि. जाट मौहल्ला सिंहपुर तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत सिंहपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिंहपुर,पं.स. कपासन तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ।

–गैर निगराकार/(अप्रार्थीगण)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन द्वारा जारी आवासीय भूमि का संकल्प संख्या 08 पट्टा दिनांक 09.09.2009

उपस्थित :– श्री शोभालाल जाट, अधिवक्ता – निगराकार
श्री कृष्णगोपाल झंवर, अधिवक्ता – गैरनिगराकार

निर्णय **दिनांक 31.10.2017**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया आवासीय भूमि का पट्टा संकल्प संख्या 08 के अनुसार दिनांक 09.09.2009 को जारी किया गया जो न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों तथा अनियमितितापूर्ण कार्यवाही कर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर कच्चा मकान, ढालिया व पोल बनी हुई है जो करीब 50 वर्ष पुरानी है। उक्त कच्चे मकान पर गैरनिगराकार संख्या 01 कभी काबिज नही रहा है। वर्तमान में भी निगराकार/प्रार्थीगण मकान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के सचिव से मिली भगत कर पुश्तैनी पट्टा कब्जा नही होते हुए भी अपने नाम जारी करा लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई जानकारी प्राप्त किये एवं मौके की रिपोर्ट नही लेकर आनन–फानन में विपक्षी

संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत सिंहपुर ने उक्त पट्टे संबंधी बिना कोई पत्रावली दर्ज किये कार्यवाही की गई है एवं एक माह का कोई आपत्ति नोटिस जारी नही किया गया। मौके की कब्जा संबंधी रिपोर्ट भी नही मंगवाई गई। पुराने कब्जे के बारे में कोई जांच नही की गई तथा निगराकार का कब्जा होने के बावजूद निगराकार को कोई जानकारी नही दी गई एवं गुपचुप तरीके से विपक्षी संख्या 01 ने पट्टा प्राप्त कर लिया एवं उक्त पट्टा पंचायती राज नियमों की पालना नही कर अवैध फायदा पहुचाने की नियत से दिया गया है। विपक्षी संख्या 01 को पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है वह 100/– रू. राशि पर या 200/–रू. की राशि पर जारी किया गया इसका भी कोई स्पष्ट अंकन नही है। नियम 148 के तहत् आपत्ति आक्षेप आमंत्रित करना आवश्यक है परन्तु कोई आक्षेप आंमत्रित नही किये गये। ग्राम पंचायत सिंहपुर ने गैर निगराकार को जो पट्टा जारी किया गया उस पर ग्राम पंचायत के सरपंच या किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है तथाकथित पट्टे पर पट्टाधारी सुन्दर बाई के हस्ताक्षर भी नही है इससे भी यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत सिंहपुर ने अपने मनमाफिक तरीके से पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर सुन्दर बाई को पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने मौके पर कितना निर्माण हो रखा है, निर्माण नया है या पुराना है, निर्माण किसने करवाया है, आदि की कोई रिपोर्ट नही मंगवाई है एवं पंचायत की कोरम में भी उक्त पट्टे से संबधित कोई प्रस्ताव नही लिया गया है। मात्र ग्राम पंचायत के सचिव ने अपने स्तर पर ही विधि विपरीत तरीके से पट्टा जारी कर दिया है, जो निरस्त योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण (अप्रार्थीगण) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

विपक्षी सख्या 01 की और से दिनांक 14.06.2017 को जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा जारी किया गया पट्टा सही है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की मिलिभगत नही की गई है तथा नियमों के परिपेक्ष्य में पट्टा जारी किया गया है। तथा निगरानीकार द्वारा लगभग सात वर्ष बाद प्रस्तुत निगरानी अन्दर अवधि नही है। प्रार्थीगण यदि विवादित मकान में अपना कोई हक चाहते है तो सिविल न्यायायल में चाराजोही करनी चाहिये। पट्टा नियमानुसार एवं सही बनाया गया है अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण पर व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 को गलत पट्टा जारी

किया गया है। चुंकि पट्टे पर केवल मात्र सचिव के हस्ताक्षर है साथ ही सरपंच के हस्ताक्षर नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 (2) के तहत् ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टे पर सचिव एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर होते है जिसकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की पत्रावली मुर्तिब नही किया गया तथा न ही कोरम में प्रस्ताव लिया गया। विपक्षी संख्या 01 ग्राम सिंहपुर में निवास नही होकर कहीं अन्यत्र नाता विवाह कर लिया है जहा वर्तमान पति के साथ निवासरत है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 09.09.2009 को निरस्त फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या सं. 01 के अधिवक्ता का कथन है कि पट्टा जारी करने के सात साल बाद विलम्ब से निगरानी पेश की गई है जिसकी अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। पंचायत समिति में अपील न होकर निगरानी पेश की है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत् अपील करनी चाहिए थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया एक ही परिवार के है। अतः दफा 5 के प्रार्थना पत्र के जानकारी नही होना गलत है। अतः प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नही होने से खारिज किया जावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी के कथन पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा पट्टा संख्या 16 संकल्प संख्या 08 दिनांक 09.09.2009 को जारी किया गया जिसमें केवल मात्र सचिव के हस्ताक्षर है, सरपंच के हस्ताक्षर नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 (2) के तहत् व्यवस्था प्रदान की है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टे पर सचिव एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर होते है, परन्तु जारी किये गये पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। ग्राम पंचायत सिंहपुर के पत्र क्रमांक जीपीएस 2017 दिनांक 01.05.2017 से रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि सुन्दरबाई पत्नी काशीराम जाट, निवासी सिंहपुर को एक पट्टा जारी किया गया जिसमें सरपंच के हस्ताक्षर नही है तथा न ही रेकार्ड में पट्टा मिसल बनी हुई है। सरपंच ग्राम पंचायत पीपलवास, पंचायत समिति भदेसर के पत्र/ग्रा.पं.पीपलवास/2016–17 दिनांक 11.07.2016 से प्रमाण पत्र जारी किया कि श्री नारायण लाल पिता दयाराम जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर के होकर इनके साथ में श्रीमती सुन्दरबाई जाट यह दोनों अपने परिवार में रह रहे है। वकील विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के संबंध में अन्दर मियाद नही मानते हुए खारिज किये जाने का अनुरोध किया है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रकरण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के संबंध में अपील न होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जो कि राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत् की गई है।

प्रकरण पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर विपक्षी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 संकल्प संख्या 08 दिनांक 09.09.2009 को जारी किया गया पट्टा खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायायल में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ